न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 37 / 2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
भूपाराम पुत्र उम्मेदाराम जाति–मेघवंशी का साद निवासी–बड़सम, तहसील व जिला–सांचौर (राज)		राज्य सरकार जरिये भूमिकारी तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार सिंह राठोड़ उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर।

:– निर्णय :– दिनांक :– 18.07.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी भूपाराम ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया, बाद कार्यालय टिप्पणी वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बड़सम में प्रार्थी व अन्य के सामलाती खातेदारी का खेत खसरा संख्या 571 / 696 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा संख्या 572 रकबा 2.22 हैक्टेयर, खसरा संख्या 573 रकबा 1.72 हैक्टेयर, जुमले रकबा 4.09 हैक्टेयर का आया हुआ है जिसमें प्रार्थी भूपाराम पुत्र उम्मेदाराम हिस्सा 1 / 24 जाति–मेघवंशी का साद खातेदार दर्ज है उसके पश्चात वर्तमान में प्रार्थी ने अपना नाम भूपाराम से बदलकर भूपेन्द्र कुमार पालीवाल करवा दिया है जिसका कार्यालय अधीक्षक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर द्वारा गजट में प्रकाशन भी हो चुका है तथा उसके बाद प्रार्थी अपने पूर्व नाम भूपाराम की जगह भुपेन्द्र कुमार पालीवाल हो जाने से सभी दस्तावेज में परिवर्तन हेतु प्रार्थना–पत्र पेश कर दिया है व गजट की कॉपी भी जगह जगह पेश कर दी है चुंकि अब प्रार्थी का नाम भूपाराम की बजाय भूपेन्द्र कुमार पालीवाल हो जाने से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि के तमाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी आदि में अपना नाम परिवर्तन करवाना चाहता है तथा संलग्न अधिसूचना क्रमांक [illegible] के अनुसार प्रार्थी का नाम भूपाराम की जगह भूपेन्द्र कुमार [illegible] नाम परिवर्तन के बाद राजस्व रेकर्ड [illegible] जाना प्रार्थी व सरकार [illegible] दस्तावेजों में परिवर्तन करने से समय–समय पर विवाद [illegible] उत्पन्न नहीं होगा अतः [illegible] परिवर्तन करने का आदेश फरमावें।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.25 12:15:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर के पश्चात अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक से तलब किया गया अप्रार्थी तामील बाजवूद भी अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पैतृक व शामलाती खातेदारों की आई हुई है जिसमें प्रार्थी का नाम भूपाराम पुत्र उम्मेदाराम, जाति–मेघवंशी का साद नाम दर्ज है किन्तु प्रार्थी ने अपना नाम बदलकर अपना नाम भुपेन्द्र कुमार पालीवाल पुत्र उम्मेदाराम करवा दिया है इस कारण उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में भी प्रार्थी का नाम भूपाराम से बदलकर भूपेन्द्र कुमार पालीवाल लिखवाना चाहता है जिस बाबत् प्रार्थी ने कार्यालय अधीक्षक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर से एक गजट अधिसूचना क्रमांक/3346/14.12.2017 प्रकाशन करवा दी गई है तथा भविष्य में नाम के संबंध में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हो इस हेतु उपरोक्त खसरा नंबरान की आराजी में प्रार्थी का नाम भूपाराम की बजाय भुपेन्द्र कुमार पालीवाल शुद्धि करने का आदेश फरमावें।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2076–2079 का अवलोकन किया, जिसमें खसरा संख्या 577/696 खसरा संख्या 572, खसरा संख्या 573 जुमले रकबा 4.09 हैक्टेयर भूमि मौजा बड़सम के खाता संख्या 78 में भूपाराम पुत्र उम्मेदाराम हिस्सा 1/24 जाति–मेघवंशी का साद साकिन देह खातेदार के नाम से दर्ज है इसी प्रकार प्रार्थी की ओर से पेश कार्यालय अधीक्षक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 3346/14.12.2017 का अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा पेश शपथ–पत्र में भी प्रार्थी द्वारा अपना नाम भूपाराम पुत्र उम्मेदाराम से बदलकर भूपेन्द्र कुमार पालीवाल रखा जाना उल्लेखित है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी ने अपना नाम भूपाराम से बदलकर भूपेन्द्र कुमार पालीवाल रखा होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

फलतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा बड़सम के खेत खसरा संख्या 571/696, 572, 573 जुमले रकबा 4.09 हैक्टेयर भूमि में भूपाराम पुत्र उम्मेदाराम की जगह भूपेन्द्र कुमार पालीवाल पुत्र उम्मेदाराम दर्ज किया जावे। उपरोक्तानुसार तहसीलदार सांचौर के नाम [illegible] जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.25 12:15:21 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को सरे–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner